



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 895]
No. 895]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2005/भाद्र 3, 1927
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 2005/BHADRA 3, 1927

मार्ग परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2005

का.आ. 1194(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि सीमा सड़क संगठन इससे उपाबद्ध सारणी में उसके स्तम्भ (1) के सामने वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उनके सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी खण्ड का उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट सड़क के विकास और अनुरक्षण के संबंध में कृत्यों का प्रयोग करेगा।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खण्ड	लम्बाई किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
223	मध्य अंदमान कादमतला में 61 कि.मी. से 104 कि.मी. (दक्षिणी अंदमान) तक और 142 कि.मी. से 155 कि.मी. तक को छोड़कर अंदमान ट्रंक सड़क	227 कि.मी.

[फा. सं. एन एच-14012/20/2005-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2005

S.O. 1194(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organisation shall exercise the function relating the development and maintenance of the Road as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding Section as mentioned against it in column (2) of the National Highway as described against it in column (1) thereof.

TABLE

National Highway No.	Section	Length in Kilometer
(1)	(2)	(3)
223	Andaman Trunk Road Except from Km. 61 to Km. 104 (South Andaman) and from Km. 142 to Km. 155 in Kadamtala area of Middle Andaman	Km 227

[F. No. NH-14012/20/2005-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

2544 GI/2005